



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276101
CG-DL-E-10092026-276101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4701]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4701]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

का.आ. 4888(अ).—यतः, मै. इन्फोसिस लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिला में प्लॉट नंबर 138, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, शोलिंगनल्लूर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.277(अ) दिनांक 16 जनवरी, 2020 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 5.37 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इन्फोसिस लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 0.0792 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, तमिलनाडु सरकार ने पत्र संख्या 13535798/एमआईबी.1/2026-2 दिनांक 17 जून, 2026 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने 0.0792 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.0792 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 5.2908 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे नंबर और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	शोलिंगनल्लूर	439	0.0792
कुल अनधिसूचित क्षेत्रफल			0.0792
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			5.2908

[फा. सं. एफ.1/11/2019-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2026

S.O. 4888(E).—Whereas, M/s. Infosys Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Plot No. 138, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Kancheepuram District, Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 5.37 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 277(E) dated 16th January, 2020;

AND, WHEREAS, M/s. Infosys Limited has now proposed for de-notification of 0.0792 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No.13535798/MIB.1/2026-2 dated 17th June, 2026;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.0792 hectares of the above the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.0792 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 5.2908 hectares. The survey numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION OF AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total Area (in Hectares)
	Sholinganallur	439	0.0792
Total			0.0792
Grand Total Area of SEZ after above deletion			5.2908

[F. No. F.1/11/2019-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.